

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक - आलोक कुमार,
संयुक्त सचिव (अभियन्त्रण),

सेवा में,

ई-मेल

सभी अभियन्ता प्रमुख, जल संसाधन विभाग, पटना ।
सभी मुख्य अभियन्ता (निदेशक, वाल्मी सहित) जल संसाधन विभाग ।
सभी निदेशक /सभी संयुक्त निदेशक, जल संसाधन विभाग, पटना ।
सभी अधीक्षण अभियन्ता, जल संसाधन विभाग ।
सभी कार्यपालक अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, पटना ।
उप सचिव (लेखा), जल संसाधन विभाग, पटना ।
सम्पर्क पदाधिकारी, सम्पर्क कार्यालय, जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार,
पोस्ट बॉक्स संख्या-307, काठमाण्डू (नेपाल) ।
स्थानिक अभियन्ता, सम्पर्क कार्यालय, जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार,
बिहार सदन, कमरा नं०-203, सेक्टर-19, द्वारका, नई दिल्ली - 110075 ।

पटना, दिनांक-13/08/26

विषय:- स्थापना मद के लिए आगामी वित्तीय वर्ष 2027-28 का आय-व्ययक तैयार करने हेतु सामान्य दिशा-निदेश ।

प्रसंग:- वित्त विभाग का पत्रांक-967 दिनांक-11.08.2026

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में कहना है कि स्थापना मद हेतु आगामी वित्तीय वर्ष 2027-2028 का विभागीय आय-व्ययक प्राक्कलन वित्त विभाग के दिशा-निदेश के आलोक में तैयार किया जाना है ।

अतएव निम्नलिखित दिशा-निदेशों के आलोक में संलग्न विहित प्रपत्र में वित्तीय वर्ष 2027-2028 का आय-व्ययक तैयार किया जायेगा :-

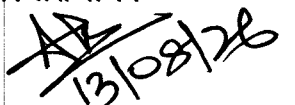
1. विहित प्रपत्र-1 (संलग्न) में आगामी वित्तीय वर्ष 2027-2028 हेतु दूरभाष की सूचना अंकित करते हुए अन्य विषयशीर्षों यथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति, यात्रा व्यय, कार्यालय व्यय, दूरभाष, विद्युत प्रभार, विधि प्रभार, किराया महसूल एवं कर तथा प्रशिक्षण व्यय इत्यादि विषयशीर्षों में सामान्यतः विगत तीन वर्षों में हुए औसत व्यय के आधार पर सुसंगत माँग राशि का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा ।
2. विहित प्रपत्र-2 (संलग्न) में आगामी वित्तीय वर्ष 2027-2028 का आय-व्ययक नाम /पदनामवार निम्न प्रकार तैयार किया जायेगा :-
 - I. प्रपत्र के स्तम्भ 1 से 6 तक में क्रमशः क्रम संख्या, कोटि वर्ग, पदनामवार क्रम संख्या, पदाधिकार /कर्मचारी का नाम, पदनाम, लिंग एवं श्रेणी (Category) का उल्लेख किया जायेगा ।
 - II. स्तम्भ 7 एवं 8 में क्रमशः संबंधित कर्मों के सेवानिवृत्ति की तिथि तथा देय वेतनवृद्धि की तिथि का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा ।

- III. स्तम्भ 9 एवं 11 में विभागीय पुर्नगठन के आलोक में स्वीकृत पद का उल्लेख किया जायेगा । पद सहित सेवानिवृत्त होने वाले सभी कर्मियों का स्वीकृत बल शून्य अंकित किया जायेगा ।
- IV. स्तम्भ 10 में दिनांक-01.03.2026 को कार्यरत बल एवं स्तम्भ 12 में दिनांक-01.03.2027 को कार्यरत बल का उल्लेख किया जायेगा ।
- V. स्तम्भ 14 एवं 15 में क्रमशः संबंधित कर्मों का वेतन स्तर (PAY LEVEL) तथा उसे अद्यतन प्राप्त ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० की संख्या अर्थात् 1 /2 /3 का उल्लेख किया जायेगा ।
- VI. स्तम्भ 16 से 21 तक में कर्मों को मात्र एक माह जुलाई 2026 में प्राप्त वेतन एवं भत्ते तथा स्तम्भ 22 में स्तम्भ 16 से स्तम्भ 21 तक के योग का उल्लेख किया जायेगा । इसी आधार पर कर्मों के वार्षिक देयता की गणना मुख्यालय स्तर पर की जायेगी ।
- VII. प्रपत्र के अन्त में सकल योग वाली पंक्ति में स्तम्भ 9 से 22 तक (स्तम्भ 14 एवं 15 को छोड़कर) के सकल योग का उल्लेख अवश्य किया जायेगा । दिनांक-28.02.2027 तक सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों को आय-व्ययक (2027-2028) में सम्मिलित नहीं किया जायेगा ।
3. जीवन यापन भत्ता की गणना 68 प्रतिशत के आधार पर की जायेगी ।
4. स्तम्भ 21 "अन्य भत्ता" में देय अन्य भत्ता यथा- साइकिल भत्ता, वाहन चालक भत्ता, तथा बाल शिक्षण भत्ता इत्यादि के अतिरिक्त वर्दी भत्ता पाने वाले कर्मियों के लिए वर्दी भत्ता हेतु ₹5,000/- प्रति कर्मों अलग से जोड़कर अंकित किया जायेगा ।
5. विहित प्रपत्र-3 (संलग्न) में संविदा पर कार्यरत कर्मियों का नाम एवं पदनामवार विस्तृत विवरणी तथा वित्तीय वर्ष 2027-2028 में कर्मों को पूरे वर्ष के लिए भुगतये पारिश्रमिक राशि का उल्लेख किया जायेगा । प्रपत्र के स्तम्भ 6 में संविदा कर्मियों का स्रोत यथा पुनर्नियोजित सेवानिवृत्ति राज्य कर्मों, बेल्ट्रॉन, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम इत्यादि का उल्लेख किया जायेगा ।
6. विहित प्रपत्र-4 (संलग्न) में सरकारी वाहन एवं भाड़े के वाहन की विस्तृत विवरणी यथा उपयोग करने वाले पदाधिकारी का नाम, पदनाम, सरकारी वाहन की पंजीयन संख्या/पंजीयन वर्ष, वाहन का इंधन एवं रख-रखाव पर व्यय, भाड़े के वाहन की परिचालन अवधि, इंधन एवं किराया (एकरारनाम/संबंधित दस्तावेज सहित) के आधार पर सुसंगत मांग राशि का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा ।

अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त वर्णित दिशा-निदेश के आलोक में सभी कार्यालय प्रधान /निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी आगामी वित्तीय वर्ष 2027-2028 का आय-व्ययक संलग्न विहित प्रपत्र प्रपत्र-1, प्रपत्र-2, प्रपत्र-3 एवं प्रपत्र-4 में तैयार कर आवश्यक अभिलेख यथा विभागीय स्वीकृत्यादेश आदि की प्रति संलग्न करते हुए हार्ड कापी में आय-व्ययक तैयार करने वाले कर्मों के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में दिनांक-11 सितम्बर 2026 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय ।

अनुलग्नक :- विहित प्रपत्र 1, 2, 3 एवं 4 ।

विश्वासभाजन



(आलोक कुमार)

संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

प्रपत्र 1 (अन्य विषयशीर्षों से संबंधित सूचना) आय-व्ययक 2027-2028

कार्यालय का नाम -				
कार्यालय का e-mail -				
1	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम एवं मोबाईल संख्या			
2	विपत्र लिपिक का नाम एवं मोबाईल संख्या			
3	रोकड़ पाल का नाम एवं मोबाईल संख्या			
विभागीय दूरभाष की विवरणी				
4	दूरभाष (लैण्डलाइन/ब्रॉडबैण्ड/फैक्स की संख्या का उल्लेख करें)	लैण्डलाइन	ब्रॉडबैण्ड	फैक्स
				औसत वार्षिक व्यय ₹
आगामी वित्तीय वर्ष 2027-28 हेतु अन्य विषय शीर्षों में प्रस्तावित राशि () -				
5	चिकित्सा प्रतिपूर्ति-	9. यात्रा व्यय-		
6	कार्यालय व्यय-	10. विद्युत प्रभार-		
7	दूरभाष-	11. प्रशिक्षण व्यय-		
8	विधि प्रभार-	12. किराया महसूल एवं कर - नगर पालिका माँग पत्र /मकान किराया संबंधी स्वीकृत्यादेश संलग्न करें ।		

कार्यालय प्रधान /निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

प्रपत्र - 2 {नाम एवं पदनामवार विस्तृत विवरणी} आय-व्ययक 2027-2028

[illegible]

कार्यालय प्रधान / निकासी व्ययन पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर

प्रपत्र - 3 {संविदा पर कार्यरत कर्मियों का नाम एवं पदनामवार विस्तृत विवरणी} आय-व्ययक 2027-2028

कार्यालय का नाम -					मुख्य अभियन्ता परिक्षेत्र -			
आय-व्ययक पत्रांक एवं दिनांक -					विपत्र कोड -			
क्रम सं०	कोटि वर्ग (I/ II/ III/ IV)	संविदा पर कार्यरत पदाधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	योगदान की तिथि	पूरे वर्ष के लिए कर्मी को भुगतये पारिश्रमिक राशि ()	सेवा प्रदाता एजेंसी (संविदा कर्मियों के नियोजन का स्रोत)	सेवा प्राप्ति संबंधी विभागीय आदेश का पत्रांक एवं दिनांक (विभागीय स्वीकृत्यादेश संलग्न करें)	अभ्युक्ति
1	2	3		4	5	6	7	8
सकल योग -								

कार्यालय प्रधान /निकासी व्ययन पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर

प्रपत्र-4 (परिचालित वाहनों से संबंधित सूचना) आय-व्ययक 2027-28

परिक्षेत्र का नाम-		वाहन का प्रकार											
कार्यालय का नाम-													
क्र० सं०	उपयोग करने वाले पदाधिकारी का नाम	उपयोग करने वाले पदाधिकारी का पदनाम	सरकारी वाहन			भाड़े के वाहन						अभ्युक्ति	
			पंजीयन संख्या /पंजीयन वर्ष	वार्षिक अनुमानित व्यय (₹)		अनुबन्ध अवधि में रखे गये वाहनों की संख्या			अनुमानित व्यय (₹)				
				इंधन (A)	रख-रखाव (B)	01 जून से 31 अक्टूबर तक (5 माह)	01 नवम्बर से 31 मई तक (7 माह)	उच्चतर पदा० हेतु 01 अप्रैल से 31 मार्च तक (12 माह)	इंधन (C)	भाड़ा-किराया (D) (एकरातामा /संबंधित दस्तावेज की प्रति संलग्न करें)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		

कार्यालय प्रधान /निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर